SPEED POST

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार,
स्थानीय लेखा–परीक्षा शाखा, पटना–800001

सं0 एल0ए0/अधि0/1678

दिनांकः– 28.1.09

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, सरकार, पटना।

महाशय,

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–618/2008–09, निधिः– **नगर पंचायत, खुसरूपुर** वर्ष 2004–05 से 2007–08 आप के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है।

अनुलग्नकः– यथोपरि

भवदीय,

(भेस्क कुमार)

वरीय लेखा–परीक्षा अधिकारी/ अधिभार

स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना–1

Forwading - Report sent to local offices

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 618/08-09

1. प्रस्तावना :-

खुसरूपुर नगर पंचायत, खुशरूपुर का वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक के लेखाओं की नमूना लेखा परीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार पटना के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा 15.12.2008 से 31.12.2008 तक की अवधि किया गया।

2. प्रशासन :-

1.	**कार्यपालक/ विशेष पदाधिकारी**	**कार्य अवधि**
(क)	सत्येन्द्र कुमार सिंह	1.4.04से 30.6.05
(ख)	मो0 कासिम अंसारी	1.7.05से 30.5.07
(ग)	सतीश कुमार शर्मा	1.6.07से 31.3.08
2.	**मुख्य पार्षद**	**कार्य अवधि**
(क)	प्रमोद कुमार निराला	1.4.04से 31.3.08
3.	**उपाध्यक्ष**	**कार्य अवधि**
(क)	विजय कुमार सिंह	1.4.04से 31.3.08

3. अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र :-

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच किये गये पंजियों एवं अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के **परिशिष्ट -I 'अ'** में दर्शाया गया है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया या अधूरा संधारित था को **परिशिष्ट -I 'ब'** में दर्शाया गया है।

4. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :-

लेखा परीक्षा के दौरान अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 84/04-05 में लम्बित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखा परीक्षा दल द्वारा की गयी है। नगर पंचायत द्वारा पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों का लेखा परीक्षा में उपस्थपित नहीं करने के कारण शेष प्रतिवेदनों में लम्बित कंडिकाओं की निस्तारण की अनुशंसा लेखा परीक्षा दल द्वारा नहीं की जा सकी। अतः लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाया जाय।

17

5. अंकेक्षण की प्रमुख उपलब्धियाँ :–

क0सं0	विवरण	कंडिका सं0
1	रोकड़ बही की त्रुटियाँ	8
2	पेंशन खाता	11
3	खतरनाक एवं भयावह व्यापार कर	14
4	कम जमा/ नहीं जमा	15
5	पेशाकर का अधिरोपण नहीं	18
6	नगर पंचायत के मकान करों का पुनरीक्षण नहीं	19
7	स्वामित्व एवं बिक्री कर जमा नहीं	21
8	निष्फल व्यय	22

6. बैंक खाता का संव्यवहार :–

(क) पी0एल0खाता :–

क0 सं0	वर्ष	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
1	प्रा0शेष	1404651	2491	386864	455978
2	प्राप्तियाँ	61023	2741157	839169	3813147
3	प्राप्तियाँ का योग (1+2)	1465674	2743648	1226033	4269125
4	व्यय	1463183	2356784	770055	779334
5	अन्त शेष	2491	386864	455978	3489791

ट्रेजरी पासबुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ट्रेजरी पासबुक के अंतशेष से इसका मिलान नहीं किया जा सका। ट्रेजरी पासबुक को अद्यतन कराकर उसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

(ख) राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रमः–

राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम की निधि पंजाब नेशनल बैंक, बैकटपुर (खाता संख्या 8300) में रखी गई तथा इसे सामान्य लेखापाल रोकड़

पंजी में ही संधारित किया गया है। रोकड़ पंजी के अनुसार इसका संव्यवहार इस प्रकार है ।

क0सं0	वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08
1	प्रा0शेष	शुन्य	257757	32488
2	प्राप्ति	2292000	शून्य	268192
3	सूद	43007	2502	5328
4	कुल प्राप्ति (1+2+3)	2335007	260259	306008
5	व्यय	2077250	227771	38930
6	अन्त शेष	257757	32488	267078

बैक पासबुक के अनुसार दिनांक 31.03.08 को अंतशेष 402018.00 रूपये था जिसमें से राष्ट्रीय गंदी बस्ती कार्यक्रम की राशि 267078.00 रू0 और बाजार बंदोबस्ती का 135000.00 रू0 की राशि सन्निहित है। अतः शेष राशि 60.00 रू0 का अंतर का समाधान कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाय।

7. आंतरिक अंकेक्षण :-

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 अथवा इसके नियमों में आंतरिक अंकेक्षण का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन बिहार नगरपालिका लेखा नियम 1928 (नियम -20,64,73(क) इत्यादि) में यह उपबंधित है कि आंतरिक जॉच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी जिसे प्राधिकृत किया जाए, उसके द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार की जॉच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गई है।

खुसरूपुर नगर पंचायत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी है।

8. रोकड़ बही :-

लेखापाल रोकड़ बही किसी संस्था का मूल अभिलेख होता है। लेकिन नगर पंचायत द्वारा इसका उपयुक्त रूप से संधारण नहीं किया गया था। इसके संधारण में अनेक त्रुटियॉ पायी गयी जिसमें से कुछ गम्भीर त्रुटियॉ इस प्रकार थीः-

(क) रोकड़ पंजी में मासिक अंतशेष नहीं दर्शाया गया था।

(ख) प्राप्ति एवं भुगतान से संबंधित लेखा शीर्ष का उल्लेख नहीं था।

(ग) प्राप्ति एवं भुगतान से संबंधित वाउचर कमांक का उल्लेख नहीं था।

(घ) अग्रिम भुगतान के संबंध में रोकड़ पंजी में लेजर पेज संख्या का उल्लेख नहीं था।

(ड0) सरकारी अनुदान प्राप्ति का पूर्ण विवरण का उल्लेख नहीं था।

(च) मासिक, त्रिमासिक, तथा वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गए थे।

(छ) भुगतान के संबंध में पूर्ण विवरण जैसे–योजना संख्या, भुगतान का उद्देश्य आदि रोकड़ पंजी में अंकित नहीं था।

अतः नगर पंचायत प्राधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त त्रुटियों को दूर किया जाय।

इसके अतिरिक्त लेखापाल रोकड़ बही का ट्रेजरी पंजी से मिलान के दौरान पाया गया कि निम्न प्राप्तियाँ एवं व्यय रोकड़ पंजी में अंकित नहीं था :–

क0सं0	मद	विवरण	राशि
1	प्राप्ति	पत्र सं0 2यो/न0वि0वि0 703/06–3515/ न0वि0वि0 दिनांक 19.9.06 हाइड्रोलिक ट्रैक्टर खरीद के लिए	425000
2	व्यय	चेक सं0 057539/10.12.07	200000
3	व्यय	चेक सं0 057540/31.12.07	225000

उक्त संव्यवहारों का रोकड़ पंजी में अंकित कर अगले अंकेक्षण में दिखायी जाय।

9. विलोप्ति

10. बजट प्राक्कलन :–

बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922 की धारा 71(i) तथा 71(i) में कमशः वर्ष समाप्ति के कम से कम दो माह पहले बजट प्राक्कलन तैयार करने एवं मंजूर बजट की प्राप्तियाँ अविलम्ब राज्य सरकार को भेजने का प्रावधान किया गया है। तदनुसार बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 85(5) के अंतर्गत बजट प्राक्कलन प्रति वर्ष 15 फरवरी तक तैयार करने तथा धारा 84(i) के अनुसार उसकी स्वीकृत प्रति राज्य सरकार के क्षेत्रीय उप निदेशक

(स्थानीय निकाय) को भेजने का प्रावधान है। नगर पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा अवधि का बजट प्राक्कलन नहीं तैयार किया गया था। वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक कुल 5369356.00 रु0 व्यय किया गया था। अतः बजट प्राक्कलन के अभाव में कुल किया गया व्यय 5369356.00 रु0 अनियमित है।

11. पेंशन :–

पेंशन खाता का संधारण एस0बी0आई0 बैंक खुशरूपुर के खाता संख्या 01190007228 में किया गया था। इसके लिए कैश बुक का संधारण नहीं किया गया था। उपलब्ध बैंक विवरणी के अनुसार लेखापरीक्षा अवधि में उसका संव्यवहार इस प्रकार था:–

क0सं0	वर्ष	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
1	प्रा0शेष	82333	83934	82730	85406
2	प्राप्ति	19817	2844	2676	46814
3	योग	102150	86778	85406	132220
4	व्यय	18216	4048	शून्य	शून्य
5	अन्त शेष	83934	82730	85406	132220

अतः पेंशन निधि का संव्यवहार के लिए रोकड़ पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

12. अनुदान :–

खुसरूपुर नगर पंचायत में अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया जिसके अभाव में वर्ष के प्रारम्भ में अव्ययित अनुदान राशि, वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान राशि, वर्ष के दौरान व्यय राशि तथा वर्ष के अंत में अव्ययित शेष अनुदान राशि की स्थिति का आकलन लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका। उपलब्ध रोकड़ पंजी के अनुसार वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक कुल 6706254.00 रु0 सरकार से अनुदान प्राप्त की गयी थी।

विस्तृत विवरण स्टेटमेंट IV पर उपलब्ध है।

13

13. सरकारी ऋण :-

सरकारी ऋण एवं विनियोग पंजी का संधारण नहीं किया गया जिसके कारण 01.04.04 को अव्ययित ऋण, वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक प्राप्त ऋण की राशि एवं व्यय तथा 31.03.08 को अव्ययित ऋण की राशि तथा 31.03.08 को सरकार को भुगतेय ऋण एवं उस पर सूद की राशि की स्थिति अंकेक्षण में सुनिश्चित नहीं हो सका। यद्यपि, रोकड़ पंजी के अनुसार केवल वर्ष 2006-07 में दिनांक को 49946.00 रू० की राशि प्राप्त हुई थी। अतः ऋण एवं विनियोग पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

14. खतरनाक एवं भयावह व्यापार कर :-

खतरनाक एवं भयावह व्यापार कर से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नगर पंचायत द्वारा नहीं किया गया था। यद्यपि नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत आकड़ों के अनुसार स्थिति इस प्रकार थी।

क0 सं0	वर्ष	बकाया सहित माँग	वसूली	वर्ष के अंत में बकाया शेष	वसूली का %
1	2004-05	35325	1150	34175	3.25
2	2005-06	37785	1450	36335	3.83
3	2006-07	39945	600	39345	1.50
4	2007-08	43155	50	43105	0.11

उपर्युक्त आकड़ों से स्पष्ट होता है कि लेखापरीक्षा अवधि में वसूली का प्रतिशत 0.11 से 3.83 के बीच रहा। अतः वसूली की इस दयनीय स्थिति पर नगर पंचायत के प्राधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि इस संबंध में वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाया जाय।

फुड एण्ड ऐडल्ट्रेशन :-

फुड एण्ड ऐडल्ट्रेशन से संबंधित कर की माँग एंव वसूली पंजी संधारित नहीं की गयी थी। नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत आकड़ों की स्थिति इस प्रकार थी।

क0 सं0	वर्ष	बकाया सहित माँग	वसूली	वर्ष के अंत में बकाया शेष
1	2004-05	39267	815	38452
2	2005-06	42687	1075	41612

3	2006-07	45847	530	45317
4	2007-08	49672	805	48867

अतः नगर पंचायत प्राधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकृष्ट किया जाता है इस बकाया राशि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

15. कम जमा /नहीं जमा :-

(क) मकान कर की वसूली में श्री लाल बाबू कर दारोगा द्वारा दिनांक 31.03.08 को एच0 रसीद संख्या 9600 से वसूली गयी राशि 840.00 रू0 तथा एच0 रसीद संख्या 9709 से 9735 तक से वसूली गयी राशि 1208.00 रू0 को नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया था। लेकिन श्री लाल बाबू द्वारा अंकेक्षण आपति के आलोक में विविध रसीद संख्या 2640 दिनांक 30.12.08 को रू0 2048.00 (रू0840+रू0 1208) नगर पंचायत निधि में जमा कर दिया गया।

(ख) श्री राम देव दास, रोकड़ पाल सह-लेखापाल के द्वारा अवधि 21.04.06 से 07.08.08 के दौरान विविध रसीद संख्या 2622 से 2638 तक से वसूली गयी राशि कुल 451.00 रू0 नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया। लेकिन श्री राम देव दास द्वारा अंकेक्षण आपति के आलोक में विविध रसीद संख्या 2641 दिनांक 31.12.08 को रू0 451.00 नगर पंचायत निधि में जमा किया गया।

16. विलोपित :-

17. वार्षिक लेखे :-

प्राप्तियों एवं भुगतानों के मासिक, त्रैमासिक सार एवं वार्षिक लेखे वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक एक भी वर्ष के लिए तैयार नहीं किये गए। उक्त लेखों का निर्माण बिहार म्यूनिसिपल एकाउंटस रूल्स के नियम 82 एवं 83 के अनुसार अपेक्षित है।

वार्षिक वित्त विवरण (बजट) एवं वार्षिक लेखे नहीं बनाये जाने के कारण प्राप्तियों एवं भुगतानों के विभिन्न शीर्षों में भिन्नता का पता अंकेक्षण द्वारा नहीं लगाया जा सका।

इस प्रकार वार्षिक लेखे निश्चित रूप से तैयार किए जाएँ।

18. पेशाकर का अधिरोपन नहीं :-

नगर पंचायत खुसरूपुर क्षेत्र में पेशाकर का अधिरोपण नहीं किया गया। इस कर को अधिरोपित नहीं किए जाने के कारण नगर पंचायत के आय में वृद्धि नहीं हो सकी। नगर पंचायत का वित्तीय मामले में स्वावलंबी बनने के लिए पेशाकर का अधिरोपण नितांत अपेक्षित है अतः पेशाकर को अधिरोपित करने की दिशा में उचित कदम उठाया जाए तथा परिणामों से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

19. नगर पंचायत के मकान करों का पुनरीक्षण नही :-

बिहार एवं उड़ीसा म्यूनिसिपल एक्ट, 1922 की धारा 106 के अनुसार नगर पंचायत के मकान करों में वृद्धि हेतु प्रत्येक पाँच वर्ष पर करों के पुनरीक्षण का प्रावधान है। नगर पंचायत द्वारा अंतिम कर निर्धारण 1972 में किया गया था। तत्पश्चात् अब तक करों का पुनरीक्षण नहीं किया गया।

शिक्षा कर एवं स्वास्थ्य कर को सरकारी खाते में जमा नहीं किया जानाः-

नगर पंचायत द्वारा मकान कर का 50% शिक्षा कर एवं स्वास्थ्य कर के मद में वसूल की गई थी। परन्तु उक्त करों का 10% वसूली प्रभार काटकर सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया था। नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार निम्न राशियाँ वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक वसूली गई :-

क्र0 सं0	वर्ष	शिक्षाकर	स्वास्थ्य कर	कुल राशि
1	2004-05	15256	15256	30512
2	2005-06	16748	16748	33496
3	2006-07	17750	17750	35500
4	2007-08	16515	16515	33030
			योग	132538
			कटौती वसूली प्रभार 10%(-)	13253.80
			कुल योग	119284.20

इस प्रकार कुल 119284.20 रू0 की राशि सरकारी खाते में जमा किया जाना था, परन्तु इसे जमा नहीं किया गया। अतः नगर पंचायत प्राधिकारियों का ध्यान उक्त राशि को सरकारी खाते के संबंद्ध शीर्ष में जमा करने हेतु ध्यान आकर्षित किया जाता है।

20. बैंक की त्रुटि के कारण दोहरी निकासी :-

लेखापाल रोकड़ पंजी का एस0बी0आई0 खाता संख्या 5903 की बैंक विवरणी से मिलान के दौरान अंकेक्षण में पाया गया कि दिनांक 19.12.06 को चेक संख्या 09911397 रू0 13000.00 की राशि का बैंक द्वारा दो बार निकासी दर्शायी गयी हैं। अतः इस चेक के माध्यम से बैंक विवरणी में दर्शायी गयी दोहरी निकासी का बैंक प्रबंधक की जानकारी में लाकर शीघ्र सुधार कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाय।

21. स्वामित्व एवं बिक्री कर जमा नहीं :-

नगर पंचायत द्वारा योजनाओं से संबंधित कार्य के लिए योजना पंजी का संधारण नहीं किया गया था। योजनाओं से संबंधित संचिकाओं की नमूना जाँच में पाया गया कि योजनाओं में व्यवहृत लघु खनिजों व अन्य सामग्रियों पर काटी गयी स्वामित्व एवं बिक्री कर की राशियों को राज्य सरकार के उपयुक्त मदों में जमा नहीं की गयी।

नगर पंचायत द्वारा अब तक कितनी राशि स्वामित्व एवं बिक्री कर के रूप में काटी गयी है इसका आकड़ा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्वामित्व एवं बिक्री कर के रूप में कुल रू0 47028.00 काटी गयी थी, जो सरकार के उपर्युक्त मदों मे नगर पंचायत द्वारा जमा की गयी थी, जो इस प्रकार थी :-

क0सं0	योजना सं0	बिक्री कर की राशि	रायल्टी की राशि
1	02/01-02	403.00	2149.00
2	03/05-06	301.00	5849.00
3	04/05-06	170.00	3751.00
4	05/05-06	229.00	4531.00
5	06/05-06	240.00	4934.00
6	07/05-06	103.00	4724.00

7	08/05-06	63.00	1766.00
8	10/05-06	241.00	5119.40
9	11/05-06	87.00	2390.00
10	04/03-04	3406.00	4631.00
11	06/03-04	–	814.00
12	08/03-04	1127.00	–
	योग	6370.00	40658.00

अतः योजनाओं में व्यवहृत की गयी सामग्रियों पर काटी गयी बिक्री एवं राजस्व कर की राशियों को, जो सरकार के खाते में जमा नहीं की गयी, उसे शीघ्र जमा करने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाये।

22. निष्फल व्यय :-

(i) योजना सं0 -03/03-04

योजना का नाम :- श्री राम लगन के घर से श्री गोपाल हलवाई के घर तक ईट नाली सोलिंग स्टोन एवं पी0सी0सी0

अभिकर्ता का नाम - श्री राम देव दास, रोकड़पाल

प्राक्कलित राशि - 492400.00 रू0

कार्य मापी की अंतिम तिथि - दिनांक 31.07.04 को

कार्य की स्थिति - 406441.00 रू0

अभिकर्ता का किया गया भुगतान का विवरण :-

क0सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि (रू0)
1	136671	24.02.04	7500
2	136675	28.02.04	85000
3	136676	28.06.04	70000
4	910627	26.07.04	153675
5	910630	09.08.04	150000
		योग	466175

मापी पुस्तिका के अनुसार दिनांक 31.07.04 तक मात्र 406441.00 रू0 का कार्य किया गया एवं चार वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ जिससे उस पर उसके लाभार्थी को उसका लाभ नहीं मिला और कुल व्यय 466175.00 रूपया निष्फल सिद्ध हुआ।

अतः दोषी व्यक्ति से रू0 316175.00 वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय।

22.(ii) योजना सं0 -01/03-04

योजना का नाम - श्री झगु साव के घर से श्री राम जी पंडित के घर तक ब्रिक ड्रेन एवं ब्रिक सोलिंग का निर्माण कार्य ।

अभिकर्ता का नाम - श्री राम देव दास, टैक्स दारोगा

प्राक्कलित राशि - 778520.00 रू0

मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य - 383818.00 रू0

मापी की तिथि - 12.08.04

अभिकर्ता को भुगतान - रू0 367000.00

अंकेक्षण टिप्पणी :-

मापी पुस्तिका के अनुसार दिनांक 12.08.2004 तक कुल 383818.00 रू0 तक का ही कार्य किया गया था तथा कार्य अपूर्ण पाया गया। कार्य अपूर्ण रहने के कारण लाभार्थी को पहुँचने वाले लाभ से बंचित किया गया एवं इस पर हुआ कुल व्यय 367000.00 रू0 निष्फल हो गया। अतः दोषी व्यक्ति से 367000.00 रू0 की राशि वसूली जाय तथा इसे नगर पंचायत निधि में जमा करायी जाय।

22.(iii) दैनिक मजदूर को भुगतान :-

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की अवहेलना करते हुए नगर पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में दैनिक मजदूर को रखा गया तथा उस पर कुल रू0 33103.00 का भुगतान किया गया। इसका उचित कारण अंकेक्षण में नहीं बताया गया। अतः कुल 33103.00 रू0 अंकेक्षण के अधीन रखा जाता है।

7

22.(IV) वेपर लाइट के क्रय पर व्यय :-

रोकड़ बही की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि मेसर्स ओम ईलेक्ट्रीकल, पटना को वेपर लाइट के क्रय हेतु 121332.00 रूपया का भुगतान किया गया। नगर पंचायत के अंतर्गत वेपर लाइट लगायी गयी लेकिन विधुत संचार हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था। अंकेक्षण को आपति किये जाने पर इस संबंध मे संतोषजनक कारण नहीं बताया गया। अतः इसके अंतर्गत व्यय की गयी राशि 121332.00 रूपया अंकेक्षण आपति के अधिन रखी जाती है।

23. अग्रिम :-

अग्रिम पंजी का संधारण लेखा परीक्षा अवधि में नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अग्रिम, वर्षान्तर्गत अग्रिम भुगतान व अग्रिम समायोजन/ वसूली तथा वर्ष के अंत में बकाया अग्रिम की स्थिति का आकलन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। साथ ही काल बाधित अग्रिम की सही स्थिति का पता नहीं चल सका।

उपलब्ध रोकड़ बही (पी0एल0खाता) के अनुसार वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक के अंतर्गत कुल रू0 38600.00 का भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया था जो इस प्रकार था :-

क0सं0	दिनांक	विवरण	राशि
1	31.5.2004	टी0ए0 अग्रिम श्री रामदेव दास को	600
2	23.9.2004	श्री रामदेव दास को अगस्त के आयोजन के लिए अग्रिम	1000
3	18.10.04	त्योहार अग्रिम (कर्मचारियों को)	12000
4	25.01.05	रिपब्लिक डे के लिए अग्रिम श्री रामदेव दास को	1000
5	2.5.06	श्री लाल बाबू को कार्यालय आकस्मिक व्यय हेतु अग्रिम	9000
6	22.5.06	श्री मनोज कुमार पंकज को अग्रिम	3000
7	11.8.06	श्री रामदेव दास को 15 अगस्त हेतु	1500
8	12.11.07	श्री मनोज कुमार	500
9	18.12.07	श्री सुरेन्द्र पासवान	1000
10	14.01.08	श्री रामदेव दास को बी0पी0एल कार्य	4000

11	17.03.08	हेतु सुमन कुमार को कर निर्धारण हेतु	5000
		योग	**38600**

24. कार्यपालक से वार्त्तालाप :-

लेखापरीक्षा में उठाए गए बिन्दुओं पर लेखापरीक्षा के दौरान समय-समय पर कार्यपालक पदाधिकारी से वार्त्तालाप की गई।

25. अंकेक्षण के परिणाम :-

(क)	लेखापरीक्षा के दौरान जमा की गयी राशि	2499.00
(ख)	अंकेक्षण आपत्ति के अधिन राशि	154435.00
(ग)	वसूली के सुझाव के अंतर्गत राशि	846175.00

(विस्तृत विवरणी सं0 **III** में उपलब्ध है)

26. समान्य अभ्युक्ति :-

नगर पंचायत में अभिलेखों तथा पंजी के संधारण में सुधार लाने की काफी गुंजाईश है। नगर पंचायत की वसूली काफी दयनीय है। पेशाकर को लागू नहीं किया गया है। मकान करों का पुनरीक्षण बहुत पुराना है।

अतः कार्यपालिका एवं विधायिका का ध्यान उपरोक्त बिन्दुओ पर आकृष्ट कराते हुए सलाह दी जाती है कि इन पर उचित कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में त्रुटियों को दूर रखा जा सके।

ह0/-
सत्य प्रकाश सिंह
अनुभाग अधिकारी (अंकेक्षण)

सं०एल०ए० अधि० 1677 दिनांक– 28/1/09

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, खुशरूपुर को प्रतिवेदन अग्रसारित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि प्रतिवेदन प्राप्ति के तीन महीने के अन्दर सभी आपत्तियों का निराकरण प्रतिवेदन प्रतिवेदन उचित माध्यम से स्थानीय लेखा परीक्षा, बिहार, पटना को समर्पित किया जाए।

ह0/–
व0ले0प0अधि0/अधिभार

ज्ञापांक सं०एल०ए० अधि० 1678 दिनांक– 28/1/09

प्रतिलिपि

1. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पटना
3. अनुभाग अधिकारी/अधिभार

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित

व0ले0प0अधि0/अधिभार

परिशिष्ट - I ~~(अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका सं~~ क सं॰ (५)

अंकेक्षण में जांच किये गये अभिलेखों की सूची
(अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका सं. 3 के संबंध में)

(i) रोकड़ बही

(ii) बैंक खाता

(iii) योजना अभिलेख

(iv) भंडार पंजी (सामान्य)

(v) भंडार पंजी (फॉर्म, रसीद)

(vi) विविध रसीद

(vii) एच रसीद

(viii) दैनिक वसूली पंजी

(ix) कर निर्धारण पंजी

(x) ट्रेजरी ट्रांजिट रजिस्टर

ह०
व.अं.प.

3

परिशिष्ट - II

अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किए गए अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची।

(अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका से   के संदर्भ में)

(i) ऋण पंजी

(ii) ऋण विनियोजन पंजी

(iii) अनुदान पंजी

(iv) अनुदान विनियोजन पंजी

(v) दाखिल खारिज पंजी

(vi) खूट रजिस्टर

(vii) अंकेक्षण पंजी

(viii) सम्पत्ति पंजी

(ix) वार्षिक लेखे

(x) बजट , इत्यादि

हस्ताक्षर
वा.ले.प.

स्टेटमेंट

सरकार से प्राप्त अनुदान का विवरण

(प्रतिवेदन की कंडिका सं.-12 के संदर्भ में)

क्रम सं.	दिनांक	विवरण	राशि
1.	29.4.05	वेतन अनुदान	96,190=00
2.	30.06.05	एन.एस.डी.पी. पत्रांक 181 दिनांक 13.4.05	22,92,000=00
~~3.~~	~~30.6.05~~	~~एन.जे.आर.वाई.~~	
3.	8.10.05	जनगणना	5,680=00
4.	26.05.06	12 वें वित्त TAV (05-06)	1,45,535=00
5.	22.06.06	12 वें वित्त	3,32,663=00
5(क)	22.06.06	वेतन	24,973=00
6.	7.11.06	डी.पी.आर. पत्रांक: एन.डी.पी.-562 दि.25.10.06	25,000=00
7.	7.11.06	जनगणना	7,125=00
7.(क)	7.11.06	जनगणना	2300=00
8.	21.5.07	कार्यालय भवन पत्रांक:न.वि.वि./1398	28,87,875=00
9	9.8.07	12 वें वित्त	2,24,773=00
10.	19.03.08	वेतन	393948=00
11	31.3.08	12 वें वित्त	2,68,192=00

योग: 67,06,254=00

स्टेटमेंट III

अंकेक्षण की आपत्तियाँ

(अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका सं. 5 के संदर्भ में)

क्रम सं.	कंडिका सं.	अंकेक्षण के दौरान जमा की गयी राशि	आपत्ति के अधीन राशि	वसूली के लिए सुझाव के अन्तर्गत राशि	अधिभार द्वारा वसूली के लिए सुझायी गयी राशि
1	2	3	4	5	6
1.	15(क)	2048=00	—	—	—
2.	15(ख)	451=00	—	—	—
3.	20	—	—	13,000=00	—
4.	22(i)	—	—	4,66,175 3,16,175=00	—
5.	22(ii)	—	—	3,67,000=00	—
6.	22(iii)	—	33,103=00		
7.	22(iv)	—	121,332=00		
	योग	2499=00	154,435=00	6,96,175=00 8,46,175=00	—